

62

कार्यालय पंजीयक समाज

मिना मण्डो (हि० प्र०)

समाज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1960

के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र

संख्या 48/2001

मैं प्रमाणित करता हूँ कि अभिलाषी शिक्षा
लक्ष्मि जेठ चौक सहलील सहर
जिला मण्डो हि० प्र०

समाज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1960 के
अन्तर्गत इस दिन पंजीकृत की गई है। आज दिनांक

सहलील मंडो चौक सहर
को मेरे हस्ताक्षर द्वारा (मण्डो) में जारी किया
गया। 21-5-2001

पंजीयक समाज,
मिना मण्डो
हि० प्र०

घ. 50/- रुपये पंजीकरण
कमल कार्यालय संख्या 235-4146
दिनांक 21-5-2001
इसका क्या किया गया ?

ATTESTED

Rajesh Kumar Verma
NOTARY PUBLIC
MANDI H.P.

Chairman
Abhilaashi Educational Society
Nerchowk, District Mandi H.P.

संविधान

अभिलाषी शिक्षा समिति नेर चौक जिला मण्डी हि0 प्र0 का संविधान :-

समिति का नाम : अभिलाषी शिक्षा समिति
 समिति का कार्यालय : नेर चौक, डा0 नेर चौक, जिला मण्डी
 (हि0प्र0)

अभिलाषी शिक्षा समिति जिसका गठन 24/12/2000 को हुआ। स्थानीय जनता के मिले जुले सहयोग से नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की शैक्षिक एवम व्यावसायिक कक्षाये चलाने के उद्देश्य पर शिक्षण संस्थाओ का संचालन करेगी।

प्रबन्धन समिति

शिक्षण संस्थाओ के संचालन के लिए जिस प्रबन्धक समिति का गठन किया गया है उसके पदाधिकारी निम्न है :-

क्र0स0	नाम	पद
1	श्री राम कृष्ण	अध्यक्ष
2	श्रीमती प्रोमिला	उपाध्यक्ष
3	श्री नरेन्द्र कुमार	सचिव
4	श्री अजय कुमार	उपसचिव
5	श्री संजीव कुमार	कोषाध्यक्ष
6	श्री खजाना राम	वरिष्ठ सदस्य

उद्देश्य

समिति अपने शिक्षण संस्थानो के माध्यम से ऐसे नागरिकों का निर्माण करने के लिये कृत संकल्प है जो राष्ट्रीय चरित्र तथा देश भक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हो जिसे अतीत की भारतीय संस्कृति, वर्तमान की शिक्षा, कला, विज्ञान एवम तकनीकी और भविष्य की चुनौतियो का सामना करने की क्षमताओं का समुचित विकास किया जाये। समिति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से

Chairman
 Abhilashi Educational Society
 Nerchowk, Distt. Mandi H.P.

Secretary
 Abhilashi Educational Society
 Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

ATTESTED
 1
 Rajesh Kumar Sharma
 NOTARY PUBLIC
 MANDI (H.P.)

CHAIRMAN
 Abhilashi Educational Society
 Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

छात्रों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवम नैतिक विकास करना है।

शिक्षा की योजना

समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में सभी धर्मों, जातियों एवं सम्प्रदायों के छात्र- छात्राओं को शिक्षा प्रदान करना है तथा नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकतोर कक्षाएँ तथा व्यावसायिक कोर्स की शिक्षा प्रदान की जायेगी।

अवकाश:-

सरकारी नियमों पर आधारित।


समिति कि नियमावली

क. कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य पदाधिकारी हो सकता है जो:-


1. शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाला हो।
2. 20 वर्ष से अधिक आयु का हो।
3. दीवालिया या मानसिक रूप से असंतुलित न हो।
4. 100रु. प्रति वर्ष अदा करे, वही सदस्य रह सकता है।
5. सदस्य पदाधिकारी समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
6. संस्था के लिए भूमि प्रदान करेगा या 10 वर्ष तक ईमानदारी से सेवा करेगा और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा वह समिति का आजीवन सदस्य रहेगा।

प्रबंध समिति का चयन

प्रबंध समिति का चयन प्रबंधक द्वारा 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। इसमें कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 11 सदस्य और पदाधिकारी होंगे प्रबंधक, चैयरमैन, उपप्रबंधक, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य।


Secretary
Abhilashi Educational Society
Nerchowk, Distt. Mandi (H.P.)

ATTESTED
Rajesh Kumar Verma
NOTARY PUBLIC
MANDI (H.P.)


CHAIRMAN
Abhilashi Educational Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

प्रबंध समिति की बैठक

प्रबंध समिति की बैठक के लिए पदाधिकारियों, सदस्यों का दो तिहाई बहुमत अनिवार्य है। प्रत्येक पदाधिकारी, सदस्य का एक ही वोट होगा। सभी तरह के निर्णय साधारण बहुमत से उपस्थित सदस्यों की बैठक में लिए जाएंगे। सचिव की अनुस्थिति में अस्थाई सचिव कि नियुक्ति करके बैठक का संचालन कर सकेगी।

समिति के कार्य / अधिकार

1. शिक्षण संस्थानों के प्रबंध के लिए नियम निर्धारित करना।
2. सदस्यता प्रार्थना पत्रों पर विचार करके सदस्यता प्रदान करना।
3. शिक्षण संस्थानों के स्टाफ की नियुक्ति करना, अनुशासनात्मक कार्यवाही निलंबन, पदच्युत करना।
4. समयानुसार अनुदान / निधियों की वृद्धि पर विचार करना।
5. लेखा संबंधित निर्णय करना।
6. उचित दरों पर व समय में लेन देन सम्बन्धित निर्णय लेना, तथा जरूरत पर बैंक आदि से ऋण का प्रावधान करना।
7. लेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति करना।
8. शिक्षण संस्थानों के भवनों के रख रखाव, किराये आदि का निर्णय करना।
9. समिति का कोई भी सदस्य पागल या दीवालिया नहीं है।
10. त्याग पत्रों पर विचार करना।
11. शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों व वेतन निर्धारित करना।
12. समिति के लेखा को मान्यता प्राप्त CA द्वारा प्रतिवर्ष चैक दिया जाएगा।
13. किसी भी समय समिति / वर्तमान समिति अपने कार्य करने में फ़ैल हुई तो उसे सारी सम्पति, अगली समिति या सरकार को सौंपी जाएगी।

प्रबंधक की शक्तियां

1. प्रबन्धक समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
2. शिक्षण संस्थाओं का अकस्मात निरीक्षण करेगा।
3. किसी सदस्य / पदाधिकारी द्वारा दिए गए त्याग पत्र / निधन / निष्काष के बाद उस पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा।

Chairman
 Abhilashi Educational Society
 Nerchowk, Distt. Mandi H.P.

ATTESTED
 Rajesh Kumar Verma
 NOTARY PUBLIC
 Mandi H.P.

CHAIRMAN
 Abhilashi Educational Society
 Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

66

4. सभी तरह के आय व्यय का सीधा कर्मचारी/पदाधिकारी के दो तिहाई बहुमत के विरुद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही करके उसको पदच्युत की विशेष शक्ति को शिक्षण संस्थाओं के हित में प्रबंधक के पास होगी।
5. कर्मचारियों के वेतन वितरण स्वयं करेगा या उसके लिए किसी कि नियुक्ति करेगा।

उप-प्रबन्धक

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में बैठकों का संचालन कर सभी कार्यों को करेगा।

सचिव

1. सचिव कार्यवाही पत्रिका पर समिति द्वारा पारित प्रस्तावों का ब्यौरा रखेगा।
2. दो तिहाई बहुमत से प्रबन्धक के परामर्श पर बैठकों का आयोजन करेगा।
3. प्रबन्धक के निर्देशानुसार पाठशाला में कार्यरत कर्मचारियों पर अपनी पकड़ रखेगा।
4. प्रबन्धक के निर्देशन पर विभागीय पत्र व्यवहार करेगा।

उप-सचिव

सचिव की अनुपस्थिति में उनकी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

कोषाध्यक्ष

बैंक में धन सम्बन्धी लेन-देन दो तिहाई बहुमत से करेगा। समिति तथा संस्था से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों के लिए श्री नरेन्द्र कुमार सचिव और विशेष सचिव को सारी शक्तियां प्रदान की जाती है।

सचिव
Secretary
Abhilashi Educational Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

ATTESTED
Rajesh Kumar Verma
NOTARY PUBLIC
MANDI (H.P.)

चेयरमैन
CHAIRMAN
Abhilashi Educational Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

Chairman
Abhilashi Educational Society
Nerchowk, District Mandi H.P.